OFFICE OF THE APPELLATE AUTHORITY, under RTI Act, HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, BENCH AT INDORE

RTI Appeal No. 01/2024

श्री रविन्द्र रावत, ...अपीलार्थी
सहायक ग्रेड–3,
पता–B-54, गौरीधाम,
जिला – खरगौन (म0प्र0)
मो.न. 7869003769

विरूद्ध

श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रियल)/
स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर
.....प्रत्यर्थी

आदेश

(पारित दिनांक : 23.02.2024)

यह आर.टी.आई. अपील अपीलार्थी श्री रविन्द्र रावत द्वारा धारा 19 (1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, श्री राजेश कुमार शर्मा के द्वारा आवेदक को चाही गयी सूचना न दिये जाने एवं आवेदन निरस्त किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रविन्द्र रावत ने आर.टी.आई. आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2023 (संलग्न आवेदन दिनांक 19.08.2023) ऑनलाइन प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया :–

"विषय– 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी याचिका बहस क लिए मजिस्ट्रेट क बोर्ड पर प्रस्तुत नहीं करने संबंधी उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने बाबत।

Ref:- याचिका क्र.5111/2013 at Indore Bench

23/2/24

बड़वानी Collector द्वारा 28.03.2012 को बर्खास्त (शासकीय सेवा) किये जाने से व्यथित होकर संदर्भित याचिका विचाराधीन है।

(2) शासन पक्ष को बहस के लिए सूचना–पत्र जारी किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करावें।

(3) क्या मामले में याचिका किसी मजिस्ट्रेट के पास लंबित है? ———,———का नाम, याचिका कब से लंबित है, दिनांक का उल्लेख करें। मजिस्ट्रेट का कक्ष क्रमांक

(4) निज वकील द्वारा प्रस्तुत याचिका दिनांक ..... एवं प्रस्तुत Regionder दिनांक .... उच्च न्यायालय की आवक पंजी में किस सरल क्रमांक पर दर्ज है आवक पंजी की प्रमाणित प्रति।

(5) याचिका विचाराधीन रहते हुए याचिकाकर्ता की असामयिक मृत्यु होने पर क्या? याचिका खारिज हो जाती है, उच्च न्यायालय के परिपत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध हो''

राज्य लोक सूचना अधिकारी/ज्वाईंट रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रियल) उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर ने आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन पत्र विचार करते हुए निम्नलिखित कारणों से आवेदन पत्र निरस्त कर दिया –

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7(1)(A)(ii) के अनुसार नागरिक आवेदक को 50/– रू. शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रैजरी चालान रूप में तथा फॉर्म ''ए'' पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर ''ए'' में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे हैं और 50 रू. का भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने रूपये 10/– का एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर नं. 61F257501 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इंदौर के नाम से संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया है, जो मूलतः आपको वापस किया जा रहा है।

23/12/14

2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियम 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाएगा जबकि आपके द्वारा एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) (बी) के तहत मांगी गई जानकारी को बहुत विशिष्ट और सटीक होना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित करने के बाद आसानी से जानकारी की आपूर्ति की जा सके परन्तु आपके आर.टी.आई. आवेदन में स्पष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सिर्फ वही जानकारी प्रदाय की जा सकती है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) क अंतर्गत परिभाषित सूचना एवं धारा 2 (झ) अंतर्गत अभिलेख की श्रेणी में आती हो तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 से प्रतिबंधित न हो। किसी प्रक्रिया विशेष की जानकारी खोज–बीनकर उपलब्ध कराया जाना तथा पृच्छा/प्रश्नों का उत्तर दिया जाना या अभिमत दिया जाना सूचना की परिधि में नही आता है और न ही लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों में निहित है।

5. The High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006 के नियम 8(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जवाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter -XVIII के अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपित शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील आर.टी.आई. अपील के रूप में पंजीकृत की गयी और अपीलार्थी को अपील की सुनवाई के लिए दिनांक 19.02.2024 को उपस्थित होने बाबत् स्पीड पोस्ट से सूचना प्रेषित की गयी परन्तु अपीलार्थी सूचना की तामीली होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अपीलार्थी को सुने बिना प्रकरण को अपील के ज्ञापन के आधार पर तथा अपील की स्वयं की मेरिट के आधार पर निराकृत किया जा रहा है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी/ज्वाइंट रजिस्ट्रार (मिनिस्ट्रियल) के द्वारा अपील के ज्ञापन का लिखित जवाब मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आर.टी.आई. आवेदन का निराकरण करते हुए राज्य लोक सूचना अधिकारी ने यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक की ओर से निर्धारित प्रारूप "फॉर्म–A के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है न ही उस आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षरित छायांचित्र चस्पा किया गया है। आवेदन पर 50/– रूपये का भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय केवल 10/–रू. का एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर नंबर 61F257501 प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्टाम्प को राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को वापस भी कर दिया गया है। राज्य लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन निरस्त करने के जो कारण बताये हैं उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि म.प्र. उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार, नियम 2006) के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जायेगा जबकि आवेदक ने एक से अधिक सूचनाएं मांगी हैं इसी तरह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी को बहुत सटीक और विशिष्ट होना आवश्यक है तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत केवल वही जानकारी प्रदाय की जा सकती है जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के अंतर्गत परिभाषित सूचना एवं धारा 2 (झ) के अंतर्गत परिभाषित अभिलेख की श्रेणी में आता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 से प्रतिबंधित न हो।

आवेदक/अपीलार्थी ने अपने आवेदन के विषय के अंतर्गत यह उल्लेख किया है कि 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका बहस के लिए मजिस्ट्रेट के बोर्ड पर प्रस्तुत नहीं करने संबंधी उच्च न्यायालय के परिपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जावे। वस्तुतः अपीलार्थी की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है जिसका क्रमांक WP No. 5111/2013 है। उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु नियत न किया जाये इस तरह का कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जाता है इसलिए जो आदेश या परिपत्र उपलब्ध नहीं है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक/अपीलार्थी को प्रदाय नहीं की जा सकती है।

आवेदक ने दूसरी जानकारी चाही है कि शासन पक्ष को बहस के लिए सूचना पत्र जारी किया गया हो तो उसकी प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करायी जावे। वस्तुतः प्रत्यर्थी को उपस्थित कराने बाबत् सूचना जारी की जाती है और पक्षकार के एक बार उपस्थित हो जाने पर बहस/अंतिम तर्क के लिए पृथक से सूचना जारी नहीं किया जाता है और आपवादिक स्वरूप विशेष मामलों में यदि कोई सूचना जारी किये जाने का आदेश किसी मामले में किया जाता है तो आवेदक/अपीलार्थी उच्च न्यायालय के प्रतिलिपि अनुभाग से ऐसे आदेश की प्रतिलिपि स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

तीसरी जानकारी आवेदक ने इस आशय की चाही है कि उसके द्वारा प्रस्तुत याचिका किस मजिस्ट्रेट के पास कब से लंबित है उस मजिस्ट्रेट का कक्ष क्रमांक क्या है। वस्तुतः माननीय उच्च न्यायालय में मजिस्ट्रेट का पद नहीं होता है बल्कि माननीय **न्यायाधिपति** का पद होता है और उक्त जानकारी समय–समय पर परिवर्तनीय होती है। याचिका कब से लंबित है यह तथ्य स्वयं आवेदक के ज्ञान में है इसलिए उक्त संबंध में भी जानकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी जाकर कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

अगली जानकारी आवेदक द्वारा इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि याचिका किस दिनांक को प्रस्तुत की गयी तथा रिज्वाईन्डर आवक पंजी में किस सरल क्रमांक पर दर्ज है। वस्तुतः याचिका स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है और रिज्वाईन्डर भी किसी आवक पंजी पर दर्ज न किया जाकर फाईलिंग सेक्शन में प्रस्तुत की जाती है।

अंतिम जानकारी के रूप में आवेदक/अपीलार्थी ने यह जानकारी चाही है कि याचिका विचाराधीन रहते हुए याचिकाकर्ता के अवसामयिक मृत होने पर क्या याचिका खारिज हो जाती है और इस संबंध में उच्च न्यायालय के परिपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जावे। वस्तुतः किसी याचिकाकर्ता के मृत होने पर क्या कार्यवाही की जावेगी यह माननीय उच्च न्यायालय के किसी परिपत्र में उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि यह विधि का प्रश्न है जो विधि पुस्तकों में उपलब्ध है और आवेदक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

23/12/24

वस्तुतः राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किये जाने एवं आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं किये जाने का जो कारण दर्शाया है वह सभी कारण उचित प्रतीत होते हैं साथ ही आवेदक/अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी अस्पष्ट प्रकृति के हैं जिसे आवेदक को उपलब्ध कराया जाना संभव भी नहीं है आवेदक ने अपने अपील के ज्ञापन में कोई भी उचित आधार नहीं बताया गया जिससे राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त किये गये आधारों को त्रुटिपूर्ण माना जा सके।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की एक प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना हेतु प्रेषित की जावे। आदेश की एक निःशुल्क प्रति अपीलार्थी/आवेदक को तथा एक प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी खण्डपीठ इंदौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

अपीलार्थी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के अंतर्गत माननीय अपीलीय प्राधिकारी (राज्य सूचना आयोग, भोपाल) के समक्ष इस आदेश के जारी होने के 90 दिवस के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है।

23/2/15

(अजय प्रकाश मिश्र)
अपीलीय प्राधिकारी